राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(32)आरबी / 2016 / 8938

दिनांक : 25 नवम्बर, 2019

परिपत्र

विषय :– **राजभवन द्वारा कुलाधिपति नामितिगण हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि वर्ष 2016 में राजभवन सचिवालय द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के विभिन्न निकायों में कुलाधिपति नामिति हेतु आचार संहिता जारी की गई थी एवं कुलाधिपति नामिति को निम्नानुसार दो प्रतिवेदन नियमित रूप से राजभवन सचिवालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था :–

1. **वार्षिक प्रतिवेदन** :– जिसके द्वारा माननीय कुलाधिपति को बोर्ड / सीनेट / सिण्डीकेट / समिति की बैठकों का कार्यवाही विवरण एवं ऐसे सुझाव जो विशेषतः संबंधित विश्वविद्यालय से और सामान्यतः उच्च शिक्षा से संबंधित हों का विवरण हो, से अवगत कराया जाये। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में सुधार बाबत सुझाव, यदि कोई हों तो वे भी वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जावें।
2. **तत्कालीन प्रतिवेदन** :– जिसके द्वारा कुलाधिपति महोदय को बोर्ड / सीनेट / सिण्डीकेट / समिति के किसी भी ऐसे निर्णय जो विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत हैं और / अथवा यू.जी.सी. दिशा निर्देशों / विश्वविद्यालय विनियमों / राज्य सरकार के नियमों के विरूद्ध हैं, से अवगत कराया जावे।

राजभवन सचिवालय द्वारा कुलाधिपति नामिति के मनोनयन आदेशों के साथ आचार संहिता एवं उपरोक्त दिशा निर्देशों की प्रति जारी की जाती है तथा संदर्भित आचार संहिता एवं दिशा निर्देशों की प्रति राजभवन, राजस्थान की वेबसाइट http://rajbhawan.rajasthan.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।

Govt.Uni./Hr.Edu./

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना करते हुए प्रतिवेदन नियमित रूप से राजभवन सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर भी कुलाधिपति नामिति अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(सुबीर कुमार)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(32)आरबी/2016/ 8939

दिनांक : 25 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोहो में कुलाधिपति नामितिगणों को आमंत्रित करने बाबत।
2. विशेष कार्य अधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. कुलाधिपति नामितगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान